

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-5013/8-3-11-70एल0ए0/10टी.सी.-।
लखनऊ दिनांक : 01 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) और धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन जारी की गयी और अन्ततः दिनांक 02.11.2010 को सार्वजनिक सूचना देकर गजट/दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या-3440/8-3-70एल0ए0/2010 दिनांक 26.10.2010 के क्रम में श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात् जिला-लखनऊ में हाईटेक टाउनशिप के विकास के लिए आवश्यकता है।

2- चूँकि श्री राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक है, इसलिए वे उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा-11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, लखनऊ के कलेक्टर पूर्वोक्त लोक प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा धारा-9 की उपधारा-(1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
लखनऊ	लखनऊ	देवामऊ	9	0.476
			15पी	0.179
			30स	0.089 (9)
			34	0.442
			53पी	0.049 0.024 (9)
			54पी	0.106 0.053 (9)
			57	0.132
			58पी	0.019
			67पी	0.235
			73	0.138
			78अ	0.142

			86पी	0.043	0.02 (9)
			87	0.102	
			92	0.671	
			124	0.376	
			योग	3.199	
लखनऊ	लखनऊ	हसनपुर खेवली	3पी	0.040	
			18पी	0.100	(9)
			23अ	0.100	
			37ब	0.369	
			45	0.135	
			61	0.126	
			72पी	0.304	
			74पी	0.130	
			91पी	0.417	
			95	0.076	
			96पी	0.147	
			104पी	0.003	
			105पी	0.003	
			106पी	0.003	
			109	0.151	
			110	0.268	
			112	0.274	
			113	0.360	
			119	0.192	
			120	0.317	
			121पी	0.349	
			123	0.480	
			126पी	0.032	0.026 (9)
			127पी	0.054	0.053 (9)
			143	0.784	
			150	1.536	
			151	0.523	
			154	0.448	
			155	0.459	
			194	0.340	
			208पी	1.024	
			209	0.276	
			244	0.050	

		250	0.7175
		259	0.248
		260	0.316
		291	0.462
		292	0.240
		294	0.108
		303	0.367
		312	0.284
		313	0.164
		210स	0.721
		261पी	0.054
		264पी	0.014
		271पी	0.105
		273पी	0.252
		290स	0.074
		304पी	0.035
		योग	14.0415
		महायोग	17.2405

किस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : जिला-लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत हाईटेक टाउनशिप योजना के विकास के लिए आवश्यकता है ।
टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा लखनऊ के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
सचिव ।

संख्या-5013(1)/ 8-3-2011-70एल.ए./ 2010टी.सी.- । तददिनांक
प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित गजट की मुद्रित 10-10 प्रतियाँ सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को उपलब्ध करायी जाये ।

आज्ञा से,

(शम्भू नाथ)
उप सचिव ।